

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अनुषा कुमारी

बनाम

रोहन

2019 की विविध अपील सं. 460

11 मई, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या वैवाहिक वाद संख्या 55/2014 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री सही है या नहीं?

हेडनोट्स

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 13(1)(i ए)-पटना उच्च न्यायालय नियम, 2000-नियम 7(जी)(i)-भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा-112-तलाक-व्यभिचार के आधार पर-डी.एन.ए. परीक्षण की आवश्यकता-पक्षकारों के बीच विवाह संपन्न हुआ-विवाह के पक्षकारों ने दिखाया कि बच्चे के जन्म के समय उनके पास दूसरे तक पहुंच नहीं थी-व्यभिचार के आधार पर तलाक दिया गया-नियम, 2000 के नियम 7(जी)(i) के अनुसार, जो विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि जब भी पत्नी के खिलाफ व्यभिचार का आरोप लगाया जाता है, तो तलाक याचिका में उस व्यक्ति का नाम और पता उल्लेखित करना आवश्यक है, जिसके अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध होने का संदेह है।

निर्णय: एक पारिवारिक न्यायालय के पास किसी व्यक्ति को डीएनए परीक्षण सहित चिकित्सा परीक्षण कराने का निर्देश देने का अधिकार है और ऐसा आदेश भारत के संविधान के

अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा - एक बच्चे के पितृत्व का निर्धारण करने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीक का उपयोग करने का निर्देश एक अत्यंत नाजुक और संवेदनशील पहलू है - इसलिए, ऐसे परीक्षणों को केवल तभी आयोजित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब उनकी अत्यंत आवश्यकता हो और जब भी ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिए - जब तक प्रतिवादी/पति वैधता के निर्णायक सबूत के साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत अनुमान को खारिज करने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक डीएनए परीक्षण की आवश्यकता नहीं है- —बच्चों को यह अधिकार है कि न्यायालयों में उनकी वैधता पर बेवजह सवाल न उठाए जाएँ और यह चेतावनी भी दी जाए कि न्यायालयों को यह स्वीकार करना होगा कि बच्चों को भौतिक वस्तुओं की तरह नहीं समझा जाना चाहिए और न ही उनका फॉरेंसिक/डीएनए परीक्षण कराया जाना चाहिए, खासकर तब जब वे तलाक की कार्यवाही में पक्षकार न हों—यदि पत्नी अपने लाभ के लिए कुछ करने से इनकार करती है, तो उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन एक माँ और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में, यदि पत्नी बच्चे के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए बच्चे का डीएनए परीक्षण कराने से इनकार करती है, तो उसके विरुद्ध व्यभिचार का कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता—डीएनए परीक्षण को बेवफाई के दावे को साबित करने के लिए शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता—आलोचनापूर्ण निर्णय और डिक्री को रद्द किया जाता है—मामले को विद्वान पारिवारिक न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है—अपील को अवलोकन के साथ अनुमति दी जाती है।

(पैराग्राफ 27, 28, 30, 31, 33, 36 से 39)

न्याय दृष्टान्त

शारदा बनाम धर्मपाल, (2003) 4 एससीसी 493; अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया, एसएलपी (सिविल) संख्या 9855/2022- पर भरोसा किया गया।

श्रीमती राखी कुमारी उर्फ सोनी बनाम बृज नंदन राम एवं अन्य, 2016(3) पीएलजेआर 706; दीपान्विता रॉय बनाम रोनोब्रोतो रॉय, (2015) 1 एससीसी 365; अश्विनकुमार के. पटेल

बनाम उपेंद्रराज पटेल एवं अन्य, (1999) 3 एससीसी 161; शिवकुमार एवं अन्य बनाम शरणबसप्पा एवं अन्य, (2021) 11 एससीसी 277; अशोक कुमार बनाम राज गुप्ता एवं अन्य, (2022) 1 एससीसी 20; सेल्वी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2010) 7 एससीसी 263—संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; पटना उच्च न्यायालय नियम, 2000; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

मुख्य शब्दों की सूची

विवाह, तलाक, व्यभिचार, डीएनए परीक्षण, प्राकृतिक अभिभावक, वैधता का प्रमाण, बेवफाई।

प्रकरण से उत्पन्न

वैवाहिक वाद संख्या 55/2014 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 01.06.2019 और 14.06.2019 के निर्णय और डिक्री से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री उदय प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से: श्री जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री हर्ष सिंह, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 की विविध अपील सं. 460**

=====

अनुषा कुमारी, पति- रोहन, पिता- अरविंद कुमार, निवासी सी/ओ- श्री राम हार्डवेयर,
खादी भंडार चौक कन्हौली, थाना कान्हौली, जिला मुजफ्फरपुर।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

रोहन, पिता- मोहन प्रसाद सिन्हा, निवासी-दरहरा हाउस कलमबाग चौक, जिला-
मुजफ्फरपुर।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री उदय प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।

श्री हर्ष सिंह, अधिवक्ता।

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार)

दिनांक: 11-05-2023

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उदय प्रकाश शर्मा और उत्तरदाता के विद्वान
अधिवक्ता श्री हर्ष सिंह की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जितेंद्र सिंह को सुना।

2. वर्तमान विविध अपील, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
मुजफ्फरपुर द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 55/2014 में पारित क्रमशः दिनांक 01.06.2019 और
14.06.2019 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलकर्ता/पत्नी और

उत्तरदाता/पति के बीच विवाह विच्छेद कर दिया गया है और व्यभिचार के आधार पर तलाक की डिक्री पारित की गई है।

3. मामले का तथ्यात्मक सार, जैसा कि अभिलेखों से पता चलता है, यह है कि अपीलकर्ता/पत्नी और उत्तरदाता/पति का विवाह 19.02.2012 को संपन्न हुआ था। विवाह की रस्में निभाने के बाद, अपीलकर्ता/पत्नी अपने ससुराल चली गई और 03.03.2012 तक अपने पति के साथ मुजफ्फरपुर में रही। पति, लगभग 14 दिनों तक मुजफ्फरपुर में पत्नी के साथ रहने के बाद, 03.03.2012 को अपने काम पे वापस आ गया।

4. उत्तरदाता/पति का मामला यह है कि मुजफ्फरपुर छोड़ने के बाद, लगभग साढ़े पाँच महीने तक उसकी पत्नी के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बने। इसके बाद, अपीलकर्ता/पत्नी अपनी शादी के बाद पहली बार 14.08.2012 को अपने पिता के साथ चंडीगढ़ गई और वह वहाँ दो महीने तक रही। बाद में, अपीलकर्ता/पत्नी की माँ अपनी बेटी को देखने चंडीगढ़ गई और कुछ दिन रुकने के बाद, वह 14.10.2012 को अपनी बेटी के साथ मुजफ्फरपुर लौट आई। 17.01.2013 को, अपीलकर्ता/पत्नी ने मुजफ्फरपुर में एक लड़के को जन्म दिया।

5. हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि उत्तरदाता/पति ने 03.03.2012 को मुजफ्फरपुर छोड़ने के बाद लगभग साढ़े पाँच महीने तक कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, इसलिए उत्तरदाता/पति के लिए यह आश्चर्यजनक था कि अपीलकर्ता/पत्नी ने 17.01.2013 को बच्चे को कैसे जन्म दिया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यह चिकित्सकीय रूप से सिद्ध है कि गर्भधारण के बाद बच्चा लगभग नौ महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। हालाँकि 7-9 महीनों में समय से पहले प्रसव के मामले सामने आए हैं, लेकिन लगभग साढ़े दस महीने तक बच्चे के माँ के गर्भ में रहने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

6. उपरोक्त तथ्यों ने अपीलकर्ता/पत्नी के विवाहेतर व्यवहार संबंध के अनैतिक आचरण के बारे में गंभीर संदेह को जन्म दिया।

7. सभी संदेहों को दूर करने के लिए, उत्तरदाता/पति के पिता ने डी.एन.ए परीक्षण का प्रस्ताव रखा, जिसे अपीलकर्ता के परिवार ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में, अपीलकर्ता/पत्नी ने अपने बच्चे के पितृत्व के लिए डी.एन.ए परीक्षण से इनकार कर दिया।

8. इस प्रकार, उपर्युक्त आचरण ने अपीलकर्ता/पत्नी की व्यवहार में संलिप्तता की पुष्टि की।

9. यह भी कहा गया है कि व्यवहार, आपराधिक और वैवाहिक दोनों कानूनों के तहत विवाह के विरुद्ध एक अपराध है और व्यवहार का एक भी कृत्य तलाक के लिए पर्याप्त है और पति-पत्नी के साथ रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पति के पास व्यवहार के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) के तहत तलाक के लिए आवेदन दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

10. पत्नी को इस मामले की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस से मिली, जिसके बाद उसने अदालत में पेश होकर विस्तृत जवाब दाखिल किया। उसने स्वीकार किया कि उसका विवाह उत्तरदाता/पति के साथ 19.02.2012 को हुआ था और वह उत्तरदाता/पति के साथ 14 दिनों तक अपने ससुराल में रही। उसके बाद, उसका पति चंडीगढ़ चला गया। आगे बताया गया है कि उसके पिता ने शादी में 25 लाख से ज्यादा खर्च किए थे। फिर भी, पति के परिवार वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। जब भी वह चंडीगढ़ जाने की इच्छा जताती, तो उसके सास-ससुर उसे मुजफ्फरपुर वाले फ्लैट में रहने को कहते। उसने यह भी बताया कि उसके ससुर शराब पीते थे और उस पर बुरी नज़र रखते थे, यहाँ तक कि वे उसके खाने में नींद की गोलिएँ भी मिला देते थे। जब भी वह जागती थी, उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ कुछ हुआ है। उसने आगे दलील दी है कि अपने पति के माता-पिता पर से भरोसा उठ जाने के बाद, वह मई 2012 के पहले सप्ताह में डॉक्टर से

सलाह लेने के बहाने चंडीगढ़ गई और अपने पति को पूरी बात बताने की कोशिश की, लेकिन उनके असहयोगी रवैये के कारण, वह अपनी आपबीती नहीं बता सकी और अंततः 14.08.2012 को वापस लौट आई। इसके बाद, वह 14.10.2012 को फिर से अपने पति के साथ रहने के लिए चंडीगढ़ गई। हालाँकि, कुछ समय बिताने के बाद, वह बीमार पड़ गई और जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो पता चला कि वह पारिवारिक कारणों से बीमार है। इसके बाद, वह अपनी माँ के साथ मुजफ्फरपुर लौट आई और 17.01.2013 को एक बच्चे का जन्म हुआ।

11. पत्नी का मामला यह है कि उसका पति हमेशा उसे यकीन दिलाता था कि जब उसे चंडीगढ़ में अच्छा आवास मिल जाएगा, तो वह उसे वापस ले जाएगा और इसी बहाने, उसने फरवरी 2014 में उससे 25 मिलीग्राम सोने के गहने और उसके पिता से 2 लाख रुपये का कर्ज ले लिया। पत्नी ने इस आरोप का पूरी तरह से खंडन किया कि वह 14.08.2012 को पहली बार चंडीगढ़ गई थी और उसके बाद कोई शारीरिक संबंध नहीं बना और इस तरह उसने व्यभिचार के आरोप का पूरी तरह से खंडन किया। उसने पितृत्व के प्रमाण की पुष्टि के लिए डी.एन.ए परीक्षण का भी प्रस्ताव रखा और तदनुसार, पति द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने की प्रार्थना की।

12. विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने, पूर्वोक्त दलीलों के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मुद्दे तय किए: "क्या पत्नी व्यभिचार की दोषी है जिसके कारण नाजायज बच्चे का जन्म हुआ और क्या उसने पति के साथ क्रूरता की, जिससे वह तलाक के आदेश का हकदार हो।"

13. पति ने अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों से पूछताछ की, अर्थात्, आ.सा.1, उत्तरदाता/पति स्वयं, आ.सा.2, मुकेश कुमार, जो एक मेडिकल दुकान का मालिक है, और आ.सा.3, शशि शेखर कुमार, उत्तरदाता/पति का किरायेदार बताया जाता है।

14. दूसरी ओर, पत्नी ने कुल पाँच गवाहों से भी पूछताछ की, जिनमें वह स्वयं वि.सा.1, वि.सा.2, जो उसके चाचा हैं; वि.सा.3, सुशील सिंह और वि.सा.4, विश्वनाथ कारजी, दोनों ने खुद को दोनों पक्षों से परिचित होने का दावा किया है और वि.सा.5, अरविंद कुमार, जो उसके पिता हैं।

15. पति ने गौतम डायग्नोस्टिक सेंटर, जूरनछपरा, मुजफ्फरपुर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की एक फोटोकॉपी भी जमा की थी, जिस पर प्रदर्श.X अंकित है, जिससे पता चलता है कि 16.10.2012 को भ्रूण के स्वास्थ्य की अल्ट्रासाउंड जांच की गई थी और जांच की तिथि पर गर्भकालीन आयु 26 सप्ताह 04 दिन +/- 2 सप्ताह थी। अनुपम अल्ट्रासाउंड एवं कलर डॉपलर सेंटर, जूरनछपरा, मुजफ्फरपुर की एक अन्य रिपोर्ट भी प्रदर्शित की गई थी, जिस पर प्रदर्श.X1 अंकित है, जिससे पता चलता है कि जांच 25.10.2012 को की गई थी और समग्र गर्भकालीन आयु 28 सप्ताह 03 दिन +/-1 सप्ताह थी।

16. उपरोक्त अल्ट्रासाउंड रिपोर्टों के आधार पर, यह दलील दी गई कि पत्नी व्यभिचार में रहती थी, जो कि गर्भावस्था की शुरुआत की तारीख से स्पष्ट है, जो दोनों रिपोर्टों के अनुसार, अप्रैल महीने में है, हालाँकि पति 03.03.2012 के बाद अपनी पत्नी से नहीं मिला था। इसलिए, यह दलील दी गई कि 17.01.2013 को पैदा हुआ बच्चा उसका बच्चा नहीं है।

17. विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया है कि गवाहों ने बताया है कि 03.03.2012 के बाद, पत्नी 14.08.2012 को अपने पति के कार्यस्थल पर गई थी और इस दौरान कभी कोई संबंध नहीं रहा। पत्नी ने अविश्वसनीय बयान दिया कि वह या तो गर्भावस्था के बाद 14.10.2012 तक रही या वह अपने ससुराल/कलमबाग चौक में या अपने पति के साथ रही।

18. विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने इस तथ्य पर और गौर किया और विवाद को शांत करने के लिए, डी.एन.ए. परीक्षण के लिए एक निर्देश जारी किया, लेकिन इस

निर्देश को सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 5689/2015 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने पति की दलील का पता लगाने के लिए और विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से, निचली अदालत के डी.एन.ए. परीक्षण के आदेश को बरकरार रखा। वैवाहिक मुकदमे से जुड़े मुद्दे का निपटारा करते हुए, विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा श्रीमती राखी कुमारी @ सोनी बनाम बृज नंदन राम एवं अन्य, 2016(3) पीएलजेआर 706, के मामले में दिए गए निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें न्यायालय ने पैरा 6 और 8 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“6. अपीलकर्ता-पत्नी ने स्वयं और बच्चे की डी.एन.ए.जाँच कराने पर आपत्ति जताई है। हम, दीपनविता रॉय बनाम रोनोब्रोतो रॉय, (2015) 1 एससीसी 365 [2015(1)पीएलजेआर (एससी)89] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(एच) का प्रयोग करते हैं और उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। तदनुसार, मुद्दा संख्या 3, 4 के संबंध में निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

8. उपरोक्त मामले में पक्षकारों को पत्नी, पति और विवाहेतर संबंध से जन्मे बच्चे का डी.एन.ए परीक्षण कराने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, पत्नी स्वयं और बच्चे का डी.एन.ए परीक्षण कराने के लिए सहमत नहीं हुई। इस प्रकार, उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया। इस न्यायालय की खंडपीठ ने विचारण न्यायालय के उस निष्कर्ष की पुष्टि की जिसमें उनके डी.एन.ए परीक्षण

के निर्देश दिए गए थे। डी.एन.ए परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक साक्ष्य निश्चित रूप से व्यभिचार के मामले को पुख्ता कर देंगे।"

19. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त कथन के आधार पर और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पत्नी ने स्वयं और बच्चे का डी.एन.ए परीक्षण कराने से इनकार कर दिया था, उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि पति ने अपनी पत्नी के व्यभिचारी व्यवहार का मामला साबित कर दिया।

20. इसलिए, विचार के लिए सामने आए सभी मुद्दों का उत्तर पत्नी के खिलाफ दिया गया और, तदनुसार, वैवाहिक तलाक के मुकदमे को अनुमति दे दी गई और व्यभिचार के आधार पर पति के पक्ष में तलाक का आदेश पारित कर दिया गया।

21. उपर्युक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर पत्नी ने इस आधार पर एम.ए. दायर किया कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि पति के इस कथन का कि वह उसके साथ केवल 03.03.2012 तक ही रहा, कोई साक्ष्य नहीं है और ऐसे कथन पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता, जब तक कि पति इस तरह के अभिवचन के समर्थन में पुख्ता साक्ष्य देकर अपने सबूत के बोझ का निर्वहन नहीं कर देता। इसके अलावा, विद्वान पारिवारिक न्यायालय इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि पति द्वारा दायर की गई तलाक याचिका में पटना उच्च न्यायालय नियमावली, 2000 के नियम 7(जी) (i) के अनुसार आवश्यक विवरण शामिल नहीं थे, जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान है कि जब भी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाया जाता है, तो तलाक की याचिका में उस व्यक्ति का नाम और पता उल्लेख करना आवश्यक है, जिस पर पत्नी के साथ शारीरिक संबंध होने का संदेह है। आक्षेपित निर्णय और डिक्री को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने इस प्रश्न की जांच करने में विफलता बरती कि जिस अवधि में पत्नी गर्भधारण की थी, उस दौरान पति को पत्नी तक पहुंच थी या नहीं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112, जो स्पष्ट शब्दों में यह प्रावधान करती है कि एक बार विवाह की वैधता सिद्ध हो

जाने पर, उस विवाह से पैदा हुए बच्चे की वैधता की प्रबल उपधारणा होती है। इस उपधारणा का खंडन केवल एक प्रबल, ठोस और निर्णायक साक्ष्य द्वारा ही किया जा सकता है। इस उपधारणा को केवल संभावनाओं के संतुलन या संदेह पैदा करने वाली किसी भी परिस्थिति से विस्थापित नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि पारिवारिक न्यायालय कानून की गंभीर त्रुटि में पड़ गया, जबकि उसने केवल इस आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला कि पत्नी ने डी.एन.ए. परीक्षण नहीं करवाया, जबकि उत्तरदाता/पति ने यह साबित करने का अपना दायित्व नहीं निभाया कि उसे अपनी पत्नी तक पहुंच थी या नहीं।

22. उपरोक्त तर्क को खारिज करने के लिए, पति के विद्वान अधिवक्ता ने डी.एन.ए परीक्षण की आवश्यकता के मुद्दे पर देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों पर भरोसा किया और इस संबंध में **दीपन्विता रॉय बनाम रोनोब्रोतो रॉय, (2015) 1 एससीसी 365**, के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि डी.एन.ए परीक्षण के बिना, पति के लिए पत्नी की कथित बेवफाई को साबित करना असंभव होगा। उक्त परीक्षण, जो सबसे वैध और वैज्ञानिक रूप से सही साधन है, पति द्वारा अपनी बेवफाई के दावे को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही, उक्त परीक्षण का इस्तेमाल पत्नी एवं पति द्वारा किए गए दावों का खंडन करने और यह स्थापित करने के लिए भी किया जा सकता है कि वह विश्वासघाती, व्यभिचारी या विश्वासघाती नहीं रही है।

23. यह आगे तर्क दिया गया कि अपील में उच्च न्यायालय को आमतौर पर आदेश 41 नियम 23 दी.प्र.सं. के तहत एक मामले को इस आधार पर वापस भेजना चाहिए कि साक्ष्य की सराहना से संबंधित बिंदुओं पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है क्योंकि पहले अपीलीय न्यायालय के पास स्वयं तथ्यों में प्रवेश करने और साक्ष्य की सराहना करने का अधिकार क्षेत्र है। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण को पुष्ट करने के लिए, **अश्विनीकुमार के. पटेल बनाम उपेंद्रजे. पटेल और अन्य, (1999) 3 एससीसी 161** और **शिवकुमार और**

अन्य बनाम शरणबसप्पा और अन्य, (2021) 11 एससीसी 277 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है। श्री सिंह ने आगे तर्क दिया है कि पति द्वारा दिए गए साक्ष्य और पत्नी द्वारा लिखित बयान में बिना कोई साक्ष्य पेश किए या गवाहों से प्रति-परीक्षण में कोई प्रश्न पूछे, मात्र एक अस्पष्ट खंडन के कारण, पति को अपना दायित्व पूरा करने वाला माना गया है। यह तर्क दिया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत प्रतिकूल निष्कर्ष का एक मजबूत मामला बनाया जा सकता है, यदि कोई पक्ष अदालत के आदेशों के बावजूद डी.एन.ए. परीक्षण कराने से इनकार करता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत कार्यवाही में चिकित्सा परीक्षण की अनुमति है। शारदा बनाम धर्मपाल, (2003) 4 एससीसी 493 के मामले में पारित एक निर्णय पर भरोसा किया गया है। अशोक कुमार बनाम राज गुप्ता और अन्य, (2022) 1 एससीसी 20, के मामले में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(एच) के तहत उस पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष का एक मजबूत मामला बनता है जो अदालत के आदेशों के बावजूद डी.एन.ए. परीक्षण कराने से इनकार करता है।

24. सेल्वी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2010) 7 एससीसी 263 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, श्री सिंह ने आगे दलील दी कि अनुच्छेद 20(3) का तर्क कार्यवाही के दौरान गवाहों द्वारा नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक डीनोवो कार्यवाही को किसी भी आपराधिक कार्यवाही के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता भले ही उसका कोई दंडात्मक परिणाम हो। डी.एन.ए परीक्षण अनुमेय था क्योंकि इसमें साक्ष्यों का बयान शामिल नहीं था।

25. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए दृढ़ता से दलील दी कि ऊपर चर्चा की गई रिपोर्ट चिकित्सकीय रूप से यह दर्शाती है कि पत्नी ने अप्रैल, 2013 में गर्भधारण किया था। हालाँकि, 03.03.2012 के बाद 14.08.2012 तक, पति-पत्नी एक-दूसरे से मिलने-जुलने में असमर्थ थे, जिसकी पुष्टि पत्नी के बयान से भी होती है,

हालाँकि उसने अपने जवाब में अस्पष्ट बयान दिया है कि वह मई के पहले सप्ताह में चंडीगढ़ गई थी, जो तथ्य उसके मामले को बेहतर नहीं बनाता या उत्तरदाता/पति के दावे को गलत साबित करता है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया*, उत्तरदाता/पति अपनी पत्नी की बेवफाई के अपने दावे को साबित करने में सफल रहा है।

26. इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर गहन विचार किया है और अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री का भी अवलोकन किया है।

27. निस्संदेह, एक पारिवारिक न्यायालय के पास किसी व्यक्ति को डी.एन.ए परीक्षण सहित चिकित्सा परीक्षण कराने का निर्देश देने का अधिकार है और ऐसा आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, जैसा कि **शारदा बनाम धर्मपाल, (2003) 4 एससीसी 493** के मामले में माना गया है।

28. यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि किसी बच्चे के पितृत्व का निर्धारण करने के लिए डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग तकनीक का उपयोग करने का निर्देश एक अत्यंत नाजुक और संवेदनशील पहलू है। इसलिए, ऐसे परीक्षण केवल तभी किए जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब उनकी अत्यंत आवश्यकता हो, न कि स्वाभाविक रूप से या नियमित रूप से जब भी ऐसा अनुरोध किया जाए।

29. वर्तमान सूची में शामिल समान मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया (विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 9855/2022 से उत्पन्न)** के मामले में गहनता से विचार किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने इस मुद्दे पर पूर्व के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, उन परिस्थितियों को रेखांकित किया है जिनके तहत किसी नाबालिग बच्चे का डी.एन.ए परीक्षण कराने का निर्देश दिया जा सकता है, जो इस प्रकार है:-

i. वैवाहिक विवादों में किसी नाबालिग बच्चे का डी.एन.ए परीक्षण नियमित रूप से आदेशित नहीं किया जाना चाहिए। डी.एन.ए प्रोफाइलिंग के माध्यम से साक्ष्य का निर्देश, व्यभिचार के आरोपों से जुड़े वैवाहिक विवादों में केवल उन मामलों में दिया जाना चाहिए, जहाँ इस तरह के दावों को साबित करने का कोई अन्य तरीका न हो।

ii. वैध विवाह के अस्तित्व के दौरान पैदा हुए बच्चों के डी.एन.ए परीक्षण का निर्देश केवल तभी दिया जा सकता है, जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत उपधारणा को हटाने के लिए पर्याप्त प्रथम-दृष्टया सामग्री हो। इसके अलावा, यदि पहुँच गैर-पहुँच के बारे में कोई दलील नहीं दी गई है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत उपधारणा का खंडन करने के लिए, डी.एन.ए. परीक्षण का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

iii. एक न्यायालय ऐसे मामले में किसी बच्चे का डी.एन.ए. परीक्षण यंत्रवत रूप से निर्देशित करने का औचित्य नहीं रख सकता है, जहाँ बच्चे की पितृत्व सीधे तौर पर विवादित नहीं है, बल्कि केवल कार्यवाही के लिए अनुप्रासंगिक है।

iv. केवल इसलिए कि किसी भी पक्ष ने पितृत्व के तथ्य पर विवाद किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय को विवाद को हल करने के लिए डी.एन.ए परीक्षण या ऐसे अन्य परीक्षण का निर्देश देना चाहिए। पक्षों को पितृत्व के तथ्य को साबित करने या अस्वीकृत करने के लिए साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और केवल तभी यदि न्यायालय ऐसे साक्ष्य के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना असंभव पाता है, या विचाराधीन विवाद को डी.एन.ए. परीक्षण के बिना

हल नहीं किया जा सकता है, तो वह डी.एन.ए. परीक्षण का निर्देश दे सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, केवल असाधारण और योग्य मामलों में, जहाँ ऐसा परीक्षण विवाद को हल करने के लिए अपरिहार्य हो जाता है, न्यायालय ऐसे परीक्षण का निर्देश दे सकता है।

v. व्यभिचार को साबित करने के साधन के रूप में डी.एन.ए. परीक्षण का निर्देश देते समय, न्यायालय को व्यभिचार से पैदा हुए बच्चों पर होने वाले परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए, जिसमें विरासत से संबंधित परिणाम, सामाजिक कलंक आदि शामिल हैं।”

30. उपर्युक्त सिद्धांतों को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि जब तक उत्तरदाता/पति साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत वैधता के निर्णायक प्रमाण के अनुमान को खारिज नहीं कर देता, तब तक किसी डी.एन.ए परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, ऐसी धारणा का खंडन किया जा सकता है, लेकिन केवल एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करके।

31. इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए यह माना कि बच्चों को यह अधिकार है कि न्यायालय में उनकी वैधता पर बेवजह सवाल न उठाया जाए और चेतावनी दी कि न्यायालयों को यह स्वीकार करना होगा कि बच्चों को भौतिक वस्तुओं की तरह नहीं समझा जाना चाहिए और न ही उनका फोरेंसिक/डी.एन.ए परीक्षण किया जाना चाहिए, खासकर जब वे तलाक की कार्यवाही में पक्षकार न हों। यह अनिवार्य है कि बच्चे पति-पत्नी के बीच झगड़े का केंद्र बिंदु न बनें। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों से जुड़े मामलों में बच्चे के हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

32. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि पत्नी ने अपने बच्चे की बीमारी और उसे मानसिक आघात पहुँचाने की संभावना के कारण उसका डी.एन.ए परीक्षण न कराने

का एक उचित और ठोस कारण दिया है। इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(एच) के तहत अनुमान का तर्क हमें गलत प्रतीत होता है।

33. कानून में प्रतिकूल निष्कर्ष केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध निकाला जा सकता है जो किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है। अपीलकर्ता/पत्नी की दोहरी भूमिका होती है, अर्थात् उत्तरदाता की पत्नी और उसके बेटे की माँ की। यदि अपीलकर्ता/पत्नी अपने लिए लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ करने से इनकार करती है, तो उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन एक माँ और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में, यदि अपीलकर्ता/पत्नी बच्चे के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए बच्चे का डी.एन.ए परीक्षण कराने से इनकार करती है, तो उसके विरुद्ध व्यभिचार का कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि बच्चे का डी.एन.ए परीक्षण कराने से इनकार करके, एक माँ वास्तव में बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा कर रही है। बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए, अपीलकर्ता/पत्नी को पुरस्कृत किया जा सकता है, लेकिन प्रतिकूल निष्कर्ष से कभी दंडित नहीं किया जा सकता। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(एच) का सहारा लेकर, उत्तरदाता/पति अपीलकर्ता/पत्नी को दुविधा की स्थिति में नहीं डाल सकता।

34. अब, वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि यदि विवाह के पक्षों में से एक यह दर्शाता है कि बच्चे के जन्म के समय उसकी दूसरे पक्ष तक पहुँच नहीं थी, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 लागू नहीं होती। इसके विपरीत, यदि संबंधित समय पर पक्षों की एक-दूसरे तक पहुँच थी, तो वैधता से संबंधित प्रश्न का भविष्य निश्चित हो जाता है।

35. यह न्यायालय इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि ऐसी कई महिलाएँ हैं जो बिना किसी समस्या के दस महीने (41, 42 या यहाँ तक कि 43 और कभी-कभी 44 सप्ताह) तक गर्भवती रहती हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ एक महिला ने दस महीने से ज़्यादा समय तक गर्भ में शिशु को रखा।

36. डी.एन.ए परीक्षण को बेवफाई के दावे को साबित करने के लिए शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत अनुमान को खारिज करना मुश्किल लग रहा है। यहाँ यह भी ध्यान रखना उचित होगा कि उत्तरदाता/पति उस व्यक्ति का नाम और पता बताने में भी विफल रहा है जिसके साथ अपीलकर्ता/पत्नी का संबंध था। इसके मद्देनजर, उत्तरदाता/पति द्वारा *प्रथम दृष्टया* ऐसा कोई मामला नहीं बनता है जो डी.एन.ए परीक्षण कराने के निर्देश को उचित ठहराए और किसी भी परिस्थिति में, अपीलकर्ता की ओर से कथित व्यभिचार के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

37. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मुजफ्फरपुर द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 55/2014 में पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री दिनांक 01.06.2019 और 14.06.2019 को मान्य नहीं पाई गई और इस प्रकार उसे दरकिनार किया जाता है।

38. यह मामला पारिवारिक न्यायालय, मुजफ्फरपुर को भेजा जाता है ताकि पक्षकारों को अपने-अपने मामलों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देकर इस पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके।

39. अपील को उपरोक्त अवलोकन के साथ स्वीकार किया जाता है।

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)- मैं सहमत हूँ।

रोहित/-

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।